उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1
संख्या– 1222 /54–1–2011/8(9) /2008
लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर,,2011

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने पत्र संख्या जेड –11011 /11/2010–पीपीसी दिनांक 11.10.2011 के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदशी सिद्धान्त 2008 के कतिपय चैप्टर/प्रस्तर में संशोधन किया गया है जिसमें संशोधित प्रस्तर–29 व 30 के अनुसार जनपद स्तर पर जिला वाटरशेड विकास इकाई (डीडब्ल्यूडीयू) के स्थान पर एक प्रथक प्रकोष्ठ वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी)स्थापित करने का प्राविधान किया गया है जो कि वाटरशेड कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी ।

उपरोक्त प्रस्तर– 29 व 30 में संशोधन के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की भूमि संरक्षण इकाई में वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी)की स्थापना वाटरशेड विकास परियोजनाओं एवं आई0ए0पी0 वाले जनपदों में निम्नानुसार की जायेगी।

क0 संख्या	अधिकारी का नाम	डब्ल्यूसीडीसी में पदेन
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप निदेशक अथवा वरिष्ठ भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास	परियोजना प्रबन्धक
3	जनपद स्तर पर महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) का प्रतिनिधि	सदस्य
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का प्रतिनिधि	सदस्य
5	योजनाधीन जनपद स्तर पर अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी	सदस्य

नोट – जिन जनपदों में मण्डलीय उप निदेशक , भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी तैनात होगें वहॉ मण्डलीय उप निदेशक परियोजना प्रबन्धक नामित होगें तथा जिन जनपदों में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की एक से अधिक इकाई होगी वहॉ पर वरिष्ठ भूमि संरक्षण अधिकारी परियोजना प्रबन्धक नामित होगा ।

जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कार्मिकों की संख्या वाटरशेड क्षेत्र के अनुसार निम्नवत् होगी ।

क0सं0	पद का नाम	25,000हे0 तक वाटरशेड क्षेत्र वाले जनपदों हेतु पदों की संख्या	25,000 हे0 से अधिक वाटरशेड क्षेत्र वाले जनपदों हेतु पदों की संख्या
1	2	3	4
1	टेक्निकल एक्स्पर्ट	1	2
2	लेखाकार	1	1
3	लेखा सहायक	–	1
4	डाटा इन्ट्री आपरेटर	1	2
	योग	3	6

76/DS
21-12-11

जनपद स्तर पर वाटर सेल कम डाटा सेन्टर के मुख्य कार्य निम्न प्रकार होगे ।

(क) राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सूची बनाने की प्रकिया के अनुसार जिला परिषद्/जिला पंचायत/जिला कौंसिल के साथ परामर्श से संभावित परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों की पहचान करना।

(ख) संबंधित जिलों में वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कार्य नीतिक तथा वार्षिक कार्ययोजनायें तैयार करने को सुविधाजनक बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी लेना।

(ग) वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यान्वयन में परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों (पीआईए) को व्यवसायिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(घ) क्षमता निर्माण संबंधी कार्ययोजनायें कार्यान्वित करने के लिए संसाधन संगठनों की घनिष्ठ भागीदारी से क्षमता निर्माण हेतु कार्ययोजनायें तैयार करना।

(ड) निगरानी , मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन का कार्य नियमित रूप से करना।

(च) वाटरशेड विकास परियोजनाओं को निधियां सुचारू रूप से जारी किये जाने को सुनिश्चित करना।

(छ) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एसएलएनए)/ केन्द्र स्तर पर विभाग की नोडल एजेन्सी को अपेक्षित दस्तावेज समय से प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना।

(ज) उत्पादकता तथा जीविका के साधनों में वृद्धि करने हेतु कृषि, बागवानी, ग्राम विकास, पशुपालन आदि के संगत कार्यक्रमों को वाटरशेड विकास परियोजनाओं के साथ समन्वय को सुविधाजनक बनाना।

(झ) वाटरशेड विकास परियोजनाओं/ योजनाओं को जिला आयोजन समितियों की जिला योजनाओं के साथ समेकित करना। वाटरशेड परियोजनाओं के समस्त व्यय को जिला योजनाओं में प्रदर्शित किया जायेगा।

(त्र) जिला स्तरीय आंकड़ प्रकोष्ठ (डीएलडीसी) को स्थापित करना तथा इसका रखरखाव करना और इसे राज्य स्तरीय आंकड़ा प्रकोष्ठ (एसएलडीसी) एवं राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा केन्द्र (एनएलडीसी) के साथ जोड़ना।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.10.2011 के संलग्नक में यह निर्देश दिये गये हैं कि :–

(क) जिलाधिकारी समय–समय पर कार्यक्रम का अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स के साथ रिब्यू करेगें जिसमें मनरेगा /वी0आर0जी0एफ0 के सदस्य तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी भी उपस्थित होगें ।

(ख) वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला योजना समिति के परस्पर सहयोग तथा समन्वय से कार्य करेगी ।

(ग) परियोजना प्रबन्धक प्रतिदिन डब्ल्यूडीडीसी के कार्यो तथा वाटरशेड कार्यक्रम के कियान्वयन की निगरानी तथा पर्यवेक्षण करेगें ।

(घ) आईडब्ल्यूएमपी के कियान्वयन हेतु संस्थागत एवं परियोजनावार Seperate Independend Accounts का रखरखाव वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर द्वारा किया जायेगा ।

(च) परियोजनाओं का संचालन डब्ल्यू सी डीसी के अध्यक्ष एवं परियाजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरो से संचालित किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या– 141/54–1–10/8(9)/2008 दिनांक 11.2.2010 निरस्त किया जाता है।

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या– 1222(1)/54–1–2011/8(9) /2008 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
3– प्रमुख सचिव कृषि विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
4– प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
5– प्रमुख सचिव ,वन विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
6– प्रमुख सचिव ,पशुपालन विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
7– प्रमुख सचिव ,दुग्ध विकास विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
8– प्रमुख सचिव ,पंचायती राज विभाग, ,उ0प्र0 शासन ।
9– प्रमुख सचिव ,उद्यान विभाग, ,उ0प्र0 शासन ।
10– प्रमुख सचिव ,लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ,उ0प्र0 शासन ।
11– प्रमुख सचिव , भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग , उ0प्र0 शासन ।
12– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
13– समस्त जिलाधिकारी (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मा0 कांशीरामनगर को छोड़कर) उ0प्र0 ।
14– आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ।
15– अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
16– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश ।
17– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी काम्प्लेक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली।
18– महा प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) गोमतीनगर।
19– उप कुलपति,, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
20– महा निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
21– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
22– प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर (आईडब्ल्यूएमपी), गोखले मार्ग, लखनऊ।

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव/सीईओ ।
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उत्तर प्रदेश शासन।